<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

श्री चीकू राम पुत्र री बलाराम, 16 सांसी बस्ती, नया गांव, जिला पाली (राज.)
बनाम
लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
प्रथम सूचना अपील संख्या :– 01/2023
जीसीएमएस नं. :– 2023/174
(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>02.05.2024</td><td>

–: निर्णय :–

1. पत्रावली आज पेश हुई ।
2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 07.12.2022 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली से चाही गई थी परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।
3. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली ने जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./822/2022/898 दिनांक 27.07.2023 इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 48 दिनांक 10.01.2023 के द्वारा सूचित कर दिया गया। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पाया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना नियम 08(1)(ज) में प्रकट किये जाने से छूट के अन्तर्गत आती है, जिससे सूचना नियमानुसार दिया जाना संभव नहीं है व इस बाबत् लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा अपीलार्थी व इस न्यायालय को भी अवगत करवा दिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में किसी तृतीय पक्षकार की सूचना उसकी बगैर सहमति के दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।
5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।
6. निर्णय आज दिनांक 02.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एल.एन. मंत्री)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली</td><td></td></tr>
</table>